सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र स0 78/2018

रामदेव पुत्र काना जाति तेली निवासी जूनियां ग्रा.प. जूनिया तह. केकडी जिला अजमेर (राज.)

---प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार केकडी जिला अजमेर

----अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्तकारी अधिनियम बाबत घोषणा

पीठासीन अधिकारी : श्री नीरज कुमार मीना (आरएएस)

निर्णय दिनांक 9.5.2018

पत्रावली आज दिनांक लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2017 केम्प जूनियां में पेश हुई। वादी प्रार्थी /अप्रार्थीगण उपस्थित । उभयपक्षों को सुना गया, संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेशकर निवेदन किया है कि वादग्रस्त आराजी वाके **ग्राम जूनियां तहसील केकडी की के जमाबन्दी संवत 2073-2076 के खाता संख्या 807 व 1059 में दर्ज में प्रार्थी का नाम रामा पुत्र काना दर्ज कर दिया गया जिसे दुरूस्त करवाकर रामा पुत्र काना के स्थान पर रामदेव पुत्र काना दर्ज किया जावे का निवेदन किया है।**

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया जावें । पटवारी हल्का से प्राप्त रिपोर्ट में प्रार्थीया का नाम **ग्राम जूनियां जमाबन्दी संवत 2073-2076 के खाता संख्या 807 व 1059 में दर्ज में प्रार्थी का नाम रामा पुत्र काना दर्ज** है। प्रार्थी का आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशनकार्ड, तस्दीक राशनकार्ड संरपच,भामाशाह कार्ड ,स्वयं का शपथ पत्र के अनुसार **प्रार्थी रामा पत्र काना** के स्थान पर **रामदेव पुत्र काना** किया जाने की सहमति दी है। साथ ही भू. अभि.निरीक्षक रिपोर्ट में भी ग्राम **जूनिया** में **खाता संख्या खाता संख्या 807 व 1059 में प्रार्थी रामा पुत्र काना के स्थान पर रामदेव पुत्र काना** की घोषणा किया जाना उचित बताया है।

अतः प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया साथ ही तहसीलदार केकडी भू.अभि.निरी. व पटवारी हल्का जूनियां की रिपोर्ट की जांच करने पर पाया गया कि ग्राम **जूनियां** में **खाता संख्या 807 व 1059 में दर्ज में में प्रार्थी रामा पुत्र काना के स्थान पर रामदेव पुत्र काना** का अंकन किये जाने की घोषणा की जाती है। यदि किसी न्यायालय में कोई आपारधिक वाद या जांच **रामा पुत्र काना** के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का प्रार्थी **रामा पुत्र काना** के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिये भी **रामा पुत्र काना** नाम ही प्रभावी माना जावेगा तथा नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार **केकडी** को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

आदेश आज दिनांक 9.5.2018 को लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प जूनियां में मज में आम में सुनाया गया व पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे एंव उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
केकडी